प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 मार्च, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में संस्थान के मुख्य चिकित्सा भवन, आंकोलाँजी भवन एवं प्रशासकीय भवन के छतों पर ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4316/डा0रा0म0लो0आ0सं0/विद्युत दिनांक 12 जनवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ के मुख्य चिकित्सा भवन, आंकोलाँजी भवन एवं प्रशासकीय भवन के छतों पर ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना का कार्य उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणी ऊर्जा विकास अभिकरण, गोमतीनगर लखनऊ (यूपीनेडा) से कराये जाने तथा प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 90,44,700/- (रूपया नब्बे लाख चौवालिस हजार सात सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ण धनराशि रू0 90,44,700/- (रूपया नब्बे लाख चौवालिस हजार सात सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्य/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
3) संस्थान द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
4) संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5) संस्थान द्वारा धनराशि का आहरण एवं व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रायोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
7) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या- 36/2016/482 (1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) डा0 आर0सी0 अग्रवाल, विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
7) परियोजना अधिकारी, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणी ऊर्जा विकास अभिकरण, गोमतीनगर लखनऊ (यूपीनेडा)।
8) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
9) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।